अधिसूचित / अनुमोदित एसईजेड के संबंध में प्रस्तावों पर विचार करने के लिए विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईजेड) के लिए अनुमोदन बोर्ड (बीओए) की सरसठवीं (67वीं) बैठक सुश्री रीता तेवतिया, सचिव, वाणिज्य विभाग की अध्यक्षता में 9 अक्टूबर, 2015 को पूर्वाह्न 11.00 बजे कमरा नंबर 47, उद्योग भवन, नई दिल्ली में आयोजित की गई। प्रतिभागियों की सूची (अनुबंध 1) के रूप में संलग्न है।

मद संख्या **67.1 :** औपचारिक अनुमोदनों की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए अनुरोध

(i) ग्राम एरामम, कन्नूर जिला, केरल में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि **18** सितंबर, **2015** के बाद पुन: बढ़ाने के लिए मैसर्स केरल स्टेट इंफार्मेशन टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने 18 सितंबर, 2016 तक औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मंजूरी प्रदान की।

(ii) ग्राम चीमेनी, कासरगोड जिला, केरल में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि **18** सितंबर, **2015** के बाद बढ़ाने के लिए मैसर्स केरल स्टेट टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (केएसआईटीआईएल) का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने 18 सितंबर, 2016 तक औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मंजूरी प्रदान की।

(iii) काकीनाडा, पूर्वी गोदावरी जिला, आंध्र प्रदेश में पोर्ट आधारित बहु उत्पाद एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि **26** अगस्त, **2015** के बाद पुन: बढ़ाने के लिए मैसर्स काकीनाडा एसईजेड लिमिटेड का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने 26 अगस्त, 2016 तक औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मंजूरी प्रदान की।

(iv) प्लाट नंबर **8,** सेक्टर **144,** नोएडा, उत्तर प्रदेश में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि **2** सितंबर, **2015** के बाद पुन: बढ़ाने के लिए मैसर्स गोल्डन टावर इनफोटेक प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने 2 सितंबर, 2016 तक औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मंजूरी प्रदान की।

मद संख्या 67.2 : तीसरे साल के बाद एलओपी की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए अनुरोध

(i) 15 सितंबर, 2015 के बाद एलओपी की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मैसर्स जेबीएफ पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड जो मंगलौर, बंगलौर में मैसर्स मंगलौर (बहु उत्पाद) एसईजेड की यूनिट है, का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने 15 सितंबर, 2016 तक एलओपी की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मंजूरी प्रदान की और निदेश दिया कि यह अंतिम विस्तार होगा।

(ii) 7 नवंबर, 2015 के बाद एलओपी की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मैसर्स बेंजो केमिकल इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड (बेंजो), जो मैसर्स दाहेज एसईजेड लिमिटेड, गुजरात की एक यूनिट है, का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने 7 सितंबर, 2016 तक एलओपी की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मंजूरी प्रदान की और निदेश दिया कि यह अंतिम विस्तार होगा।

(iii) 19 जुलाई**, 2015** के बाद एलओपी की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मैसर्स ओएनएस इंटरैक्टिव सोल्यूशंस जो एनएसईजेड की यूनिट है**,** का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने 19 जुलाई, 2016 तक एलओपी की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मंजूरी प्रदान की और निदेश दिया कि यह अंतिम विस्तार होगा।

(xv) 22 सितंबर**, 2015** के बाद एलओपी की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मैसर्स टेक महिंद्रा लिमिटेड **(**यूनिट **4)** जो एनएसईजेड यूनिट है**,** का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने 22 सितंबर, 2016 तक एलओपी की वैधता अवधि बढ़ाई।

(v) 27 मई, 2015 के बाद एलओपी की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मैसर्स मिलान लैबोरेटरीज लिमिटेड जो इंदौर एसईजेड की यूनिट है, का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने 27 मई, 2016 तक एलओपी की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मंजूरी प्रदान की।

मद संख्या 67.3 : सह विकासक के लिए अनुरोध

(i) ग्राम अटिप्रा, तालुक एवं जिला तिरुवनंतपुरम, केरल में मैसर्स इलेक्ट्रानिक्स टेक्नोलॉजी पार्क्स - क्षेत्र में वृद्धि के लिए केरल द्वारा आईटी / आईटीईएस के लिए विकसित किए जा रहे क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड में सह विकासक के लिए मैसर्स वर्टस आईटी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद, अनुमोदन बोर्ड ने एसईजेड अधिनियम एवं नियमावली के अनुसार मानक शर्तों एवं नियमों के अधीन विकासक के साथ किए गए सह विकासक करार के अनुसरण में आईटी सेक्टर के उद्योग के विकास तथा अवसंरचना सुविधाएं प्रदान करने के लिए सह विकासक का क्षेत्रफल 1 एकड़ से बढ़ाकर 2 एकड़ करने के लिए मैसर्स वर्टस आईटी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की।

मद संख्या 67.4 : विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए प्रस्ताव

(i) सिपकॉट औद्योगिक विकास केन्द्र, बार्गुर, उठानगरई और पोचंपल्ली तालुक, कृष्णागिरि जिला, तमिलनाडु में **58.21** हेक्टेयर के क्षेत्रफल में फुटवियर के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए मैसर्स चेयार एसईजेड डवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि सिपकॉट के नाम में अधिसूचित ग्रेनाइट प्रसंस्करण क्षेत्र के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड में 153.83 हेक्टेयर भूमि से 58.29 हेक्टेयर भूमि वाणिज्य विभाग द्वारा विमुक्तीकरण के लिए अनुमोदित की गई है। विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने सिपकॉट औद्योगिक विकास केन्द्र, बार्गुर, उठानगरई और पोचंपल्ली तालुक, कृष्णागिरि जिला, तमिलनाडु में 58.21 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में फुटवियर के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए मैसर्स चेयार एसईजेड डवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की।

मद संख्या 67.5 : विविध मामले

(i) अधिकृत प्रचालनों के लिए मैसर्स सिंजेन इंटरनेशनल जो मंगलौर, कर्नाटक में मैसर्स मंगलौर एसईजेड लिमिटेड के बहु उत्पाद एसईजेड का सह विकासक है, का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने 16.2 हेक्टेयर के प्रसंस्करण क्षेत्र में सह विकासक की निम्नलिखित अधिकृत गतिविधियों को मंजूरी प्रदान की :

क्र. सं.	अधिकृत गतिविधि का नाम	यूनिटों की संख्या	यथा लागू एफएसआई / एफएआर मानदंड के अनुसार प्रति यूनिट क्षेत्रफल (वर्गमीटर में)	कुल क्षेत्रफल (वर्गमीटर में) क्षमता (मेगावाट में)
1	अनुसंधान एवं विकास के लिए लैब स्थापित करना	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
2	सक्रिय फर्मास्युटिकल इनग्रेडिएंट, उन्नत इंटरमीडिएट तथा कृषि रसायन में अनुसंधान एवं विकास	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

(ii) संविदा अनुसंधान एवं विकास के तहत परीक्षण के प्रयोजनार्थ सैंपल के आयात के लिए अनुमति प्रदान करने के लिए मैसर्स एससीआई जेनोम लैब्स प्राइवेट लिमिटेड जो सीएसईजेड की यूनिट है, का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने यूनिट को अनुमोदन बोर्ड की मंजूरी प्राप्त करने से पूर्व पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के अधीन इंजीनियरिंग अनुमोदन समिति से अनुमोदन सहित सभी सांविधिक अनुमोदन प्राप्त करने का निदेश देने का निर्णय लिया।

(iii) केएसआईटीआईएल एसईजेड, कोझीकोड के अधिसूचित क्षेत्र के अंदर केएसईबी द्वारा 66 केवी का उप केन्द्र स्थापित करने के लिए प्रस्ताव

विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने कोई ड्यूटी फ्री लाभ या कर छूट प्राप्त किए बगैर 66 **केवी तक का उप केन्द्र स्थापित करने के लिए मैसर्स केरल स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को** 99 **साल के लिए**

पट्टा पर गैर प्रसंस्करण क्षेत्र में 95.776 सेंट भूमि आवंटित करने के लिए मैसर्स केरल स्टेट आईटी इनफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (केएसआईटीआईएल) के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की।

(iv) मैसर्स टोरेंट पावर लिमिटेड के साथ समामेलन / विलय के लिए मैसर्स टोरेंट एनर्जी लिमिटेड जो दाहेज एसईजेड में सह विकासक है, का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने गुजरात उच्च न्यायालय से समामेलन के आदेश के अनुसरण में मैसर्स टोरेंट पावर लिमिटेड के साथ समामेलन / विलय के लिए मैसर्स टोरेंट एनर्जी लिमिटेड के अनुरोध को इस शर्त के अधीन मंजूरी प्रदान की कि (1) विलयित संस्था अंतरिती कंपनी की सभी परिसंपत्तियों एवं देयताओं का अधिग्रहण करने के लिए विकास आयुक्त को वचन पत्र प्रस्तुत करेगी; और (2) विलयित संस्था समय समय पर यथासंशोधित विद्युत दिशानिर्देश दिनांक 1 अप्रैल 2015 का पालन करेगी। यह अनुमोदन निम्नलिखित शर्तों के भी अधीन है :

(i) सह विकासक की परिवर्तित कंपनी के लिए जिम्मेदारियों एवं बाध्यताओं में परिवर्तन के बगैर एसईजेड की गतिविधियों को अचूक ढंग से जारी रखना;

(ii) सह विकासक की परिवर्तित कंपनी तथा उसके संघटकों द्वारा सुरक्षा क्लियरेंस आदि सहित विकासक पर लागू पात्रता के सभी मापदंडों का निर्वहन;

(iii) राजस्व / कंपनी कार्य / सेबी आदि के सभी लागू नियमों की प्रयोज्यता तथा उनका अनुपालन, जो पूंजी अभिलाभ, इक्विटी परिवर्तन, अंतरण, कराधेयता आदि जैसे मुद्दों को विनियमित करते हैं।

(iv) इक्विटी में परिवर्तन / मर्जर / डिमर्जर, समामेलन या स्वामित्व का अंतरण आदि से संबंधित पूर्ण वित्तीय ब्यौरे सदस्य (आईटी), सीबीडीटी, राजस्व विभाग को तथा क्षेत्राधिकारीय प्राधिकारी को तत्काल प्रस्तुत किए जाएंगे।

(v) कर निर्धारण अधिकारी को आयकर अधिनियम 1961 की संगत धाराओं के तहत कटौतियों के लिए पात्रता एवं कराधेयता की जांच एवं मूल्यांकन करने का अधिकार होगा।

(vi) आवेदक राज्य सरकार के सभी संगत कानूनों का पालन करेगा जिसमें भूमि को पट्टा पर देने से संबंधित यथालागू कानून शामिल हैं।

(vii) सह विकासक अपने क्षेत्राधिकारीय कर निर्धारण अधिकारी को पैन का ब्यौरा प्रस्तुत करेगा तथा उक्त अधिकारी सीबीडीटी को यह ब्यौरा प्रस्तुत करेंगे।

(v) सेक्टर 5, साल्ट लेक सिटी, कोलकाता में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड के लिए सन्निकटता की शर्त में छूट प्रदान करने के लिए मैसर्स विप्रो एसईजेड का अनुरोध

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि उक्त एसईजेड साइट 1 पर क्रियाशील है तथा साइट 1 और 2 दोनों में समुचित चारदीवारी है तथा यह कि यह आईटी / आईटीईएस के लिए एसईजेड है। इसलिए विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने उक्त एसईजेड के साइट 2 में स्थित 2.5 एकड़ भूमि का विकास करने के लिए मैसर्स विप्रो एसईजेड के अनुरोध को इस शर्त के साथ मंजूरी प्रदान की कि विकासक

प्रवेश एवं निकास के बिंदुओं पर अचूक सुरक्षा प्रणालियां स्थापित करेगा जहां एसईजेड स्कीम के किसी संभावित दुरुपयोग को रोकने के लिए पर्याप्त मात्रा में जनशक्ति तैनात की जाएगी।

(vi) शेयर होल्डिंग के पैटर्न में परिवर्तन के लिए मैसर्स इंडिया लैंड केजीआईएसएल टेक पार्क प्राइवेट लिमिटेड जो कीरनथम गांव, कोयंबटूर तालुक एवं जिला में मैसर्स कोयंबटूर हाइटेक इनफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड (चिल) के क्षेत्र विशिष्ट आईटी / आईटीईएस एसईजेड में सह विकासक है, का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद, अनुमोदन बोर्ड ने कंपनी की शेयर होल्डिंग के पैटर्न में परिवर्तन के लिए सह विकासक के अनुरोध को निम्नलिखित शर्तों के अधीन मंजूरी प्रदान की :

(i) सह विकासक की परिवर्तित कंपनी के लिए जिम्मेदारियों एवं बाध्यताओं में परिवर्तन के बगैर एसईजेड की गतिविधियों को अचूक ढंग से जारी रखना;
(ii) सह विकासक की परिवर्तित कंपनी तथा उसके संघटकों द्वारा सुरक्षा क्लियरेंस आदि सहित विकासक पर लागू पात्रता के सभी मापदंडों का निर्वहन;
(iii) राजस्व / कंपनी कार्य / सेबी आदि के सभी लागू नियमों की प्रयोज्यता तथा उनका अनुपालन, जो पूंजी अभिलाभ, इक्विटी परिवर्तन, अंतरण, कराधेयता आदि जैसे मुद्दों को विनियमित करते हैं।
(iv) इक्विटी में परिवर्तन / मर्जर / डिमर्जर, समामेलन या स्वामित्व का अंतरण आदि से संबंधित पूर्ण वित्तीय ब्यौरे सदस्य (आईटी), सीबीडीटी, राजस्व विभाग को तथा क्षेत्राधिकारीय प्राधिकारी को तत्काल प्रस्तुत किए जाएंगे।
(v) कर निर्धारण अधिकारी को इक्विटी के अंतरण या विलय, डिमर्जर, समामेलन, स्वामित्व के अंतरण आदि से उत्पन्न लाभ / हानि की यथालागू कराधेयता का आकलन करने तथा आयकर अधिनियम 1961 की संगत धाराओं के तहत कटौती के लिए पात्रता का अधिकार होगा।
(vi) आवेदक राज्य सरकार के सभी संगत कानूनों का पालन करेगा जिसमें भूमि को पट्टा पर देने से संबंधित यथालागू कानून शामिल हैं।
(vii) सह विकासक अपने क्षेत्राधिकारीय कर निर्धारण अधिकारी को पैन का ब्यौरा प्रस्तुत करेगा तथा उक्त अधिकारी सीबीडीटी को यह ब्यौरा प्रस्तुत करेंगे।

(vii) प्लाट नंबर **7,** सेक्टर **144,** नोएडा में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए कंपनी का नाम बदलकर मैसर्स आक्सीजन बिजनेस पार्क प्राइवेट लिमिटेड करने तथा शेयर होल्डिंग के पैटर्न में परिवर्तन के लिए मैसर्स आचविस साफ्टेक प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने विकासक का नाम आचविस साफ्टेक प्राइवेट लिमिटेड से बदलकर आक्सीजन बिजनेस पार्क प्राइवेट लिमिटेड करने तथा शेयर होल्डिंग के पैटर्न में परिवर्तन करने के अनुरोध को निम्नलिखित शर्तों के अधीन मंजूरी प्रदान की :

(i) विकासक की परिवर्तित कंपनी के लिए जिम्मेदारियों एवं बाध्यताओं में परिवर्तन के बगैर एसईजेड की गतिविधियों को अचूक ढंग से जारी रखना;

(ii) विकासक की परिवर्तित कंपनी तथा उसके संघटकों द्वारा सुरक्षा क्लियरेंस आदि सहित विकासक पर लागू पात्रता के सभी मापदंडों का निर्वहन;

(iii) राजस्व / कंपनी कार्य / सेबी आदि के सभी लागू नियमों की प्रयोज्यता तथा उनका अनुपालन, जो पूंजी अभिलाभ, इक्विटी परिवर्तन, अंतरण, कराधेयता आदि जैसे मुद्दों को विनियमित करते हैं।

(iv) इक्विटी में परिवर्तन / मर्जर / डिमर्जर, समामेलन या स्वामित्व का अंतरण आदि से संबंधित पूर्ण वित्तीय ब्यौरे सदस्य (आईटी), सीबीडीटी, राजस्व विभाग को तथा क्षेत्राधिकारीय प्राधिकारी को तत्काल प्रस्तुत किए जाएंगे।

(v) कर निर्धारण अधिकारी को इक्विटी के अंतरण या विलय, डिमर्जर, समामेलन, स्वामित्व के अंतरण आदि से उत्पन्न लाभ / हानि की यथालागू कराधेयता का आकलन करने तथा आयकर अधिनियम 1961 की संगत धाराओं के तहत कटौती के लिए पात्रता का अधिकार होगा।

(vi) आवेदक राज्य सरकार के सभी संगत कानूनों का पालन करेगा जिसमें भूमि को पट्टा पर देने से संबंधित यथालागू कानून शामिल हैं।

(vii) विकासक अपने क्षेत्राधिकारीय कर निर्धारण अधिकारी को पैन का ब्यौरा प्रस्तुत करेगा तथा उक्त अधिकारी सीबीडीटी को यह ब्यौरा प्रस्तुत करेंगे।

(viii) विमुक्तीकरण / औपचारिक अनुमोदन के निरसन के लिए अनुमोदन बोर्ड के निर्णय के पर पुनर्विचार के लिए मैसर्स मिकाडो रियाल्टर्स प्राइवेट लिमिटेड जो ग्राम बहरामपुर एवं बलोला, जिला गुड़गांव, हरियाणा में इलेक्ट्रानिक हार्डवेयर, आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड का विकासक है, का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने आवेदक को निदेश दिया कि वे भूमि के अधिग्रहण एवं स्वामित्व, एसईजेड में किए जाने वाले निवेश की प्रकृति तथा उक्त एसईजेड की भावी योजनाओं के संबंध में विकास आयुक्त, एनएसईजेड को विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करें। विकास आयुक्त, एनएसईजेड इसकी जांच करेंगे तथा विशिष्ट सिफारिशों के साथ वाणिज्य विभाग को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। इसके बाद वाणिज्य विभाग द्वारा फाइल पर मामले की जांच की जा सकती है।

(ix) 8 अगस्त 2007 को आयोजित अपनी बैठक में आईटी के लिए मैसर्स राजीव गांधी इनफोटेक पार्क, चंडीगढ़ (आरजीटीपीसी) के क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड के संबंध में अनुमोदन बोर्ड द्वारा लिए गए निर्णय की पुष्टि

विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि आवेदक तथा संबंधित प्राधिकारियों द्वारा अपेक्षित सुधारात्मक कदम उठाया गया है। इसलिए सर्वसम्मति से मामले को नियमित एवं बंद करने का निर्णय लिया गया।

(x) डीटीए यूनिट से प्रतिबंधित कच्चा माल क्लोरोडीफ्लोरोमिथेन (मेफ्रान **22** और फ्रेआन **22**) जो आईटीसी अध्याय के शीर्ष **29037100** के तहत आता है, के प्रापण के लिए अनुमति प्रदान करने के लिए मैसर्स पीआई इंडस्ट्रीज लिमिटेड जो स्टर्लिंग एसईजेड की यूनिट है, का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने अवसंरचना सुविधा स्थापित करने के लिए या यूनिट स्थापित करने के लिए किसी एसईजेड विकासक या यूनिट को मदों की आपूर्ति के संबंध में डीटीए यूनिट से प्रतिबंधित कच्चा माल क्लोरोडीफ्लोरोमिथेन (मेफ्रान 22 और फ्रेआन 22) जो आईटीसी अध्याय के शीर्ष 29037100 के तहत आता है, के प्रापण के लिए मैसर्स पीआई इंडस्ट्रीज लिमिटेड के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की। यह रेफ्रिजरेशन, कटिंग, पॉलिशिंग और ब्लेंडिंग को छोड़कर विनिर्माण के प्रचालनों के लिए एसईजेड यूनिट को कच्चे माल की आपूर्ति भी कर सकती है। यह अनुमोदन सुरक्षा एवं पर्यावरणीय स्वीकृति के अनुपालन के अधीन है।

(xi) 31 अगस्त **2014** से **5** साल के अगले ब्लाक के लिए एलओपी की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मैसर्स पूजा स्क्रैप इंडस्ट्री (पार्टनरशिप) जो वीएसईजेड की यूनिट है, का अनुरोध

विकास आयुक्त, वीएसईजेड ने अनुमोदन बोर्ड को सूचित किया कि मैसर्स पूजा स्क्रैप इंडस्ट्रीज ने 1 सितंबर 2014 से 30 अगस्त 2015 तक 703.51 लाख रुपए के एफओबी मूल्य का भौतिक निर्यात किया है जो 668.33 लाख रुपए के अधिदेशित लक्ष्य अर्थात पिछले ब्लाक के दौरान यूनिट की लंबित निर्यात बाध्यता के विरुद्ध है। इसके अलावा यूनिट ने 3 विदेशी मुद्रा में भुगतान के विरुद्ध 446.69 लाख रुपए के मूल्य के लिए क्लियरेंस किया है जिसे एनएफई की गणना में शामिल किया गया है। विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने 31 अगस्त, 2017 तक एलओपी की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मंजूरी प्रदान की।

मद संख्या 67.6 : अनुमोदन बोर्ड के समक्ष अपील

(i) यूनिट अनुमोदन समिति के आदेश दिनांक **18** अगस्त **2015** के विरुद्ध मैसर्स शहतूतवाले इंडस्ट्रीज लिमिटेड जो नोएडा एसईजेड की यूनिट है, की अपील

विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने अपीलकर्ता को निदेश दिया कि वे विकास आयुक्त को एसईजेड एवं डीटीए यूनिटों के लेखा परीक्षित वित्तीय विवरण प्रस्तुत करें तथा विकास आयुक्त, एनएसईजेड को यूनिट का औपचारिक निरीक्षण करने तथा यूनिट में किए गए निवेश, उक्त यूनिट में लगाए गए प्लांट एवं मशीनरी और शुरुआती एलओपी प्रदान किए जाने के बाद यूनिट के निष्पादन पर विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निदेश दिया गया। अनुमोदन बोर्ड ने तद्नुसार अपील पर निर्णय को आस्थगित कर दिया।

पूरक एजेंडा पर निर्णय

मद संख्या 67.7 : सह विकासक के लिए अनुरोध

(1) मुंद्रा, कच्छ, गुजरात में मैसर्स अडानी पोर्ट एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड द्वारा विकसित किए जा रहे बहु उत्पाद एसईजेड में सह विकासक के लिए मैसर्स मुंद्रा सोलर टेक्नोपार्क प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने इलेक्ट्रानिक विनिर्माण क्लस्टर (ईएमसी) का क्षेत्रफल 207.20 हेक्टेयर से बढ़ाकर 259.70 हेक्टेयर करने के लिए मैसर्स मुंद्रा सोलर टेकनोपार्क प्राइवेट लिमिटेड के अनुरोध को मंजूरी प्रदान की।

मद संख्या 67.8 : तीसरे साल के बाद एलओपी की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए अनुरोध

(i) 30 सितंबर 2015 के बाद एलओपी की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मैसर्स हाइ - टेक इनफार्मेशन प्राइवेट लिमिटेड जो मैसर्स फाल्टा एसईजेड, कोलकाता द्वारा विकसित किए जा रहे बहु उत्पाद एसईजेड की यूनिट है, का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने 31 मार्च, 2016 तक एलओपी की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मंजूरी प्रदान की।

(ii) 2 फरवरी 2015 के बाद एलओपी की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मैसर्स अल्सटोम भारत फोर्ज पावर प्राइवेट लिमिटेड जो मैसर्स एपीएसईजेड द्वारा विकसित किए जा रहे बहु उत्पाद एसईजेड की यूनिट है, का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने 31 अक्टूबर, 2016 तक एलओपी की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मंजूरी प्रदान की।

(iii) एसईजेड नियमावली **2006** के नियम **18 (4)** के अनुसरण में अगले **5** वर्षों के लिए एलओपी के नवीकरण के लिए मैसर्स प्लास्टिक प्रोसेसर्स एंड एक्सपोर्टर्स प्राइवेट लिमिटेड का प्रस्ताव

अनुमोदन बोर्ड ने मैसर्स प्लास्टिक प्रोसेसर्स एंड एक्सपोर्टर्स प्राइवेट लिमिटेड के प्रतिनिधि श्री राकेश अग्रवाल की बात सुनी। नोट किया गया कि यह यूनिट कई वर्षों से निष्क्रिय पड़ी है और अपनी निर्धारित निर्यात बाध्यताओं का निर्वहन करने में असमर्थ है। इसलिए विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने मैसर्स प्लास्टिक प्रोसेसर्स एंड एक्सपोर्टर्स प्राइवेट लिमिटेड के एलओपी के नवीकरण के अनुरोध को अस्वीकार कर दिया।

<u>मद संख्या 67.9 : अधिकृत प्रचालन</u>

(i) मैसर्स इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के लिए अनुमोदित बहु प्रयोक्ता लिक्विड टर्मिनल के विकास के सिलसिले में अधिकृत प्रचालनों में संशोधन के लिए मैसर्स कोचीन पोर्ट ट्रस्ट का प्रस्ताव

विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने विकासक मैसर्स कोचीन पोर्ट ट्रस्ट के इस आशय के अनुरोध को मंजूरी प्रदान की कि बंकर हैंडल करने के लिए बार्ज लोडिंग जेट्टी का निर्माण विकासक अधिकृत प्रचालन होगा अर्थात मुख्य जेट्टी का निर्माण इंडियन ऑयल कॉर्पोरशन लिमिटेड के अधिकृत प्रचालन के रूप में बना रहेगा तथा बार्ज लोडिंग जेट्टी का निर्माण कोचीन ट्रस्ट का अधिकृत प्रचालन बनेगा।

अध्यक्ष के प्रति धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक समाप्त हुई।

………